



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022023-243648
CG-DL-E-16022023-243648

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2023/माघ 26, 1944

No. 86]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2023/MAGHA 26, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2023

फा. सं. पीएनजीआरबी/तक./4-टी4एसएलएनजी/(1)/2019 (पी-3317).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधाओं के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) विनियम, 2018 में संशोधन करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है। अर्थात्:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभणः

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधाओं के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) संशोधन विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधाओं के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) विनियम, 2018 में, -

(i) विनियम 7 में, उप-विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा :-

(4) संबंधित संस्था का बोर्ड, इन विनियमों की अधिसूचना के नब्बे दिनों के भीतर अपना एक निदेशक नियुक्त करेगा, जो इन विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) अनुसूची-1क के खण्ड 1.8.3 में, -

- (क) उप-खण्ड (i) में, "नियंत्रण कक्ष और", "और प्रोसेस क्षेत्र" शब्द लोप हो जाएंगे;
 (ख) उप-खंड (ii) में, "और/या सब- स्टेशन" शब्द लोप हो जाएंगे।

(iii) अनुलग्नक -II में,

(क) सारणी को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"सारणी - ब्लॉकों/सुविधाओं के बीच न्यूनतम पृथक्करण दूरी

क्र.सं.	से/तक	1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रोसेस यूनिट	नोट 1	नोट 2	30	90	45	60	60	15
2	प्रोसेस नियंत्रण कक्ष	नोट 2	एक्स	नोट 3	90	45	30	30	एक्स
3	एलएनजी भंडारण टैंक	30	नोट 3	(डी1+डी2)/4	90	30	60	0.7डी	60
4	फ्लेयर (नोट-4)	90	90	90	एक्स	90	90	90	90
5	बल्क एलएनजी लोडिंग /अनलोडिंग	45	45	30	90	नोट 5	90	नोट 5	30
6	फायर स्टेशन / प्राथमिक चिकित्सा केंद्र	60	30	60	90	90	एक्स	12	एक्स
7	संस्थापना की चारदीवारी	60	30	0.7डी	90	30	12	एक्स	15
8	विद्युत उपकेंद्र	15	एक्स	60	90	30	एक्स	15	एक्स

(ख) सारणी के लिए सामान्य टिप्पणी में, -

i. क्रमांक (i) में, "'टी" का अर्थ संदर्भित सारणी संख्या को दर्शाती है" शब्दों का लोप हो जाएगा और अंत में "'डी" शब्द एलएनजी भंडारण टैंक के व्यास को दर्शाता है। " को सम्मिलित किया जाएगा।

ii. क्रमांक (ii) में, "(i) " और "(ii) () ब्रेकेट्स में दी गई दूरियां हीटर/बॉयलर/ फरनेस/स्टील के आवरण से होगी।", को लोप किया जाएगा।

(ग) सारणी के लिए विशिष्ट टिप्पणी में, -

(i) टिप्पणी-4 में, "अन्वेषण और उत्पादन संस्थापनाओं के लिए यह ऑयल माइन्स विनियमों के अनुरूप होंगी" शब्द लोप हो जाएंगे;

(ii) टिप्पणी-4 के बाद, निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा,

"टिप्पणी-5:(i) बल्क लोडिंग/अनलोडिंग गैन्ट्री के मामले में, न्यूनतम पृथक्करण दूरी: -

- (क) टैंक वैगन गैन्ट्री से टैंक वैगन गैन्ट्री, टैंक ट्रक गैन्ट्री और चारदीवारी 50 मीटर की होगी।
 (ख) टैंक ट्रक गैन्ट्री से टैंक ट्रक गैन्ट्री और चारदीवारी 30 मीटर की होगी।

(ii) एकल टैंक ट्रक गैन्ट्री में एलएनजी टैंक लॉरी बे की संख्या 8 से अधिक नहीं होगी।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./612/2022-23]

फुटनोट: मूल विनियमों को सरकारी राजपत्र में फा. सं. इफ्रा/टी4एस/एलएनजी/05, दिनांक 18 जनवरी, 2018 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th February, 2023

F. No. PNGRB/Tech/4-T4SLNG/(1)/2019 (P-3317).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Liquefied Natural Gas Facilities) Regulations, 2018, namely: -

1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Liquefied Natural Gas Facilities) Amendment Regulations, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Liquefied Natural Gas Facilities) Regulations, 2018, -

- (i) In Regulation 7, after sub-regulation (3), the following shall be inserted: -

“(4) The Board of the concerned entity, within ninety days of the notification of these regulations shall appoint one of its directors, who shall be responsible for ensuring compliance to these regulations.”

- (ii) In Clause 1.8.3 of Schedule - 1A, -

- (a) in sub-clause (i), the words “control room and”, “and process area” shall be omitted;
- (b) in sub-clause (ii), the words “and/or substation” shall be omitted.

- (iii) in Annexure-II, -

- (a) The table shall be substituted with the following:

“Table – Minimum separation Distance between Blocks/Facilities

Sl. No.	From / To	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Process Units	Note-1	Note-2	30	90	45	60	60	15
2	Process Control Room	Note-2	X	Note-3	90	45	30	30	X
3	LNG Storage Tanks	30	Note-3	(D1+D2)/4	90	30	60	0.7D	60
4	Flare (Note-4)	90	90	90	X	90	90	90	90
5	Bulk LNG Loading/ Unloading	45	45	30	90	Note 5	90	Note 5	30
6	Fire Station / First Aid Center	60	30	60	90	90	X	12	X
7	Boundary wall around installation	60	30	0.7D	90	30	12	X	15
8	Electrical Sub Station	15	X	60	90	30	X	15	X

- (b) In General Notes to the Table, -

- i. In point (i), the words “ “T” indicates the table number to be referred.” shall be omitted, the word “x”, shall be substituted by the word “X”, and at the end the words “ “D” stands for diameter of the LNG storage tank.” shall be inserted;
- ii. In point (ii), the words “(i) In” shall be substituted by the words “in” and the words “(ii) The distances given in the brackets () are from the shell of the Heater / Boiler / Furnace / Still.”, shall be omitted.

(c) in Specific notes to Table, -

(i) in Note-4, the words “For Exploration & Production installations, this shall be in line with Oil Mines Regulations.” shall be omitted;

(ii) after Note-4, the following shall be inserted,

Note-5:

(i) In case of bulk loading/unloading gantry, minimum separation distance between: -

(a) Tank wagon gantry to tank wagon gantry, tank truck gantry and boundary wall shall be 50 m.

(b) Tank truck gantry to tank truck gantry and boundary wall shall be 30m.

(ii) The number of LNG tank lorry bays in a single tank trunk gantry shall not exceed 8.”

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./612/2022-23]

Footnote: The Principal regulations were notified in the official gazette vide F. No. INFRA/T4S/LNG/05, dated 18th January, 2018.